न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमति सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 32 / 17

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री जगदीश कुमार पुत्र श्री हिरालाल उम्र 36 वर्ष (एफबीओ/ मालिक) फर्म :– मैसर्स बिसन स्वीट्स घासमंडी रोड, जोधपुर, राजस्थान 342001 निवासी म.न. 07 चौपासनी रोड, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 16.06.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स बिसन स्वीट्स घासमंडी रोड, जोधपुर राजस्थान 342001 पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान बॉइल्ड शुगर कन्फेक्शनरी (कॉनी मिक्स फ्रूट) के 300 पैक 24 सिल्ड पैक पॉली पैकेट्स आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त बॉइल्ड कन्फेक्शनरी (कॉनी मिक्स फ्रुट) 300 के 4 पॉली पैकेट्स वास्ते नमूना संख्या एडी–408 वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के रूपये 360/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है। खरीदसुदा बॉइल्ड कन्फेक्शनरी (कॉनी मिक्स फ्रुट) 300 के चारों पॉली पैकेट्स पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी–408 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–408 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपडी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–408 सील चपडी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
2. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि बॉइल्ड कन्फेक्शनरी (कॉनी मिक्स फ्रुट) 300 के चारों नमूना पॉली पैकेट्स को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–408 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/737/एक्ट/2016/769 दिनांक 29.06.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–408 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
3. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी को अनेक अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं किया। अतः जवाब बन्द किया जाता है।
4. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी पाया जाता हैं। यदि अप्रार्थी पब्लिक हैल्थ लेबोट्ररी जोधपुर की फूड ऐनेलेसिस रिपोर्ट दिनांक 29.06.2016 से संतुष्ट नहीं था तो उसके पास रेफरल लेबोरट्री में अपील का अवसर था

परंतु अप्रार्थी ने रेफरल लैब में अपील नहीं की अतः अप्रार्थी पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी पाये से शास्ती रूपये 15000/- अक्षरे रूपये [illegible] आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थी उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 18/7/17 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक / कोर्ट / 2017 / 1631-1633 दिनांक 18/7/2017

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
02. श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
03. श्री जगदीश कुमार पुत्र श्री हिरालाल उम्र 36 वर्ष (एफबीओ/मालिक) फर्म :– मैसर्स बिसन स्वीट्स घासमंडी रोड, जोधपुर, राजस्थान 342001 निवासी म.न. 07 चौपासनी रोड, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर